



THE OVIE CIRCLE

FOUNDATION

A Section 8 Company Companies ACT 2013

From You, To Yourself.

Self-understasion. Awareness & Purposeful Social Action.

सेवा में,

उपखण्ड अधिकारी,
विद्युत वितरण उपखण्ड,
जनपद आगरा, उत्तर प्रदेश।

विषय: शिकायत संख्या 40014626060886 दिनांक 16.08.2026 एवं उसके विवादित निस्तारण के संबंध में प्रस्तुत शिकायत संख्या 40014626064011 दिनांक 26.08.2026 को बंद किए जाने तथा भविष्य की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था के संबंध में सुझाव।

महोदय,

मैं, अविनाश कटारा, संस्थापक एवं निदेशक, द ओवी सर्किल फाउंडेशन, ग्राम मालपुरा, आगरा की विद्युत आपूर्ति के संबंध में निम्नलिखित निवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

1. मूल शिकायत का विवरण

शिकायत संख्या: 40014626060886

दिनांक: 16.08.2026

विषय: मालपुरा, आगरा-283102 में लंबे समय से जारी अनियमित एवं अघोषित विद्युत कटौती के संबंध में।

उक्त शिकायत के निस्तारण से असहमति होने के कारण उसके संबंध में पुनः शिकायत प्रस्तुत की गई थी।

2. उच्चस्तरीय जाँच हेतु प्रस्तुत शिकायत

शिकायत संख्या: 40014626064011

दिनांक: 26.08.2026

विषय: पूर्व शिकायत संख्या 40014626060886 के विवादित निस्तारण की उच्चस्तरीय जाँच एवं उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु।

वर्तमान परिस्थितियों एवं विद्युत आपूर्ति की स्थिति को देखते हुए अब उक्त प्रकरण को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। अतः शिकायत संख्या 40014626064011 को मेरी ओर से बंद किया जा सकता है। यह निर्णय वर्तमान में विद्युत आपूर्ति की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया जा रहा है और इसे भविष्य में निर्धारित आपूर्ति के संबंध में उपभोक्ताओं के अधिकार अथवा पुनः शिकायत प्रस्तुत करने के अधिकार के परित्याग के रूप में न माना जाए।



THE OVIE CIRCLE

FOUNDATION

A Section 8 Company Companies ACT 2013

From You, To Yourself.

Self-understation. Awareness & Purposeful Social Action.

3. भविष्य की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था के संबंध में सुझाव एवं अपेक्षाएँ

ग्राम मालपुरा में यदि नियमानुसार प्रतिदिन 18 घंटे विद्युत आपूर्ति तथा कुल 6 घंटे की निर्धारित कटौती है, तो निर्धारित रोस्टर का नियमित एवं यथासंभव समान रूप से पालन सुनिश्चित किया जाए, जिससे ग्रामवासियों को दैनिक कार्यों की योजना बनाने में अनावश्यक कठिनाई न हो।

यदि किसी दिन निर्धारित 6 घंटे की अवधि से अधिक विद्युत कटौती होती है, तो परिस्थितियों एवं लागू नियमों के अनुसार अतिरिक्त कटौती की अवधि की यथासंभव भरपाई करते हुए निर्धारित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही, जहाँ संभव हो, असामान्य अथवा अतिरिक्त कटौती की सूचना समय रहते उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी उपयोगी होगी।

वर्तमान में यदि 6 घंटे की कटौती 3 घंटे प्रातः एवं 3 घंटे सायं की अवधि में की जाती है, तो विभाग से सुझाव है कि तकनीकी एवं प्रशासनिक रूप से संभव होने पर इसे 2-2-2 घंटे की तीन अलग-अलग अवधियों में विभाजित करने पर विचार किया जाए।

इस व्यवस्था में कुल 6 घंटे की कटौती एवं 18 घंटे की विद्युत आपूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, किंतु दिनभर विद्युत उपलब्धता अधिक संतुलित रहेगी। इससे ग्रामवासियों को घरेलू कार्यों, जलापूर्ति, कृषि, विद्यार्थियों की पढ़ाई तथा अन्य दैनिक अथवा आकस्मिक आवश्यकताओं में सुविधा प्राप्त होगी।

4. उपभोक्ता हित एवं शिकायत निस्तारण के संबंध में अपेक्षा

उपभोक्ताओं का विद्युत बिल नियमानुसार पूर्ण रूप से देय होता है, अतः हमारी अपेक्षा भी केवल इतनी है कि निर्धारित नियम एवं रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराई जाए। निर्धारित आपूर्ति व्यवस्था का पारदर्शी एवं नियमित पालन विभाग और उपभोक्ताओं के बीच विश्वास बनाए रखने में सहायक होगा।

भविष्य में यदि मुझे अथवा किसी ग्रामवासी को निर्धारित विद्युत आपूर्ति से संबंधित समस्या होती है, तो आवश्यकतानुसार पुनः शिकायत प्रस्तुत की जाएगी। हमारा उद्देश्य अनावश्यक विवाद उत्पन्न करना नहीं, बल्कि निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप नियमित एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराना है।

साथ ही विशेष अनुरोध है कि भविष्य में किसी भी जनशिकायत का निस्तारण वास्तविक स्थिति, उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों के सत्यापन के आधार पर ही किया जाए। शिकायत के वास्तविक तथ्यों से भिन्न, तथ्यहीन अथवा असत्य आख्या प्रस्तुत कर शिकायत का निस्तारण न किया जाए। यदि किसी शिकायत पर विभागीय आख्या प्रस्तुत की जाती है, तो वह स्थल की वास्तविक स्थिति तथा उपलब्ध अभिलेखों से पुष्ट हो, जिससे शिकायत निस्तारण की प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनी रहे।



THE OVIE CIRCLE

FOUNDATION

A Section 8 Company Companies ACT 2013

From You, To Yourself.

Self-understasion. Awareness & Purposeful Social Action.

अतः उपर्युक्त सुझावों एवं अपेक्षाओं को अभिलेख पर लेते हुए वर्तमान शिकायत संख्या 40014626064011 को बंद करने की कार्यवाही की जाए तथा भविष्य में ग्राम मालपुरा की विद्युत आपूर्ति निर्धारित रोस्टर के अनुरूप बनाए रखने हेतु आवश्यक ध्यान दिया जाए।

धन्यवाद।

भवदीय,

AVINASH KATARA
FOUNDER AND DIRECTOR
THE OVIE CIRCLE FOUNDATION

Date: 22 September 2026

